

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक:- F1[9]FD/Rev/2011-12 & 2012-13 Part दिनांक 15.05.2018 के निर्देशानुसार राजस्थान लेखा सेवा के नवनियुक्त कार्मिको को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर) में दिनांक 25.06.2018 से 08.07.2018 तक आयोजित होने वाले अतिरिक्त लेखाधिकारी पद के दो सप्ताह के फील्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नानुसार उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

	अधिकारी का नाम	25.06.2018 से 01.07.2018 तक (प्रथम सप्ताह)	02.07.2018 से 08.07.2018 तक (द्वितीय सप्ताह)
1	कल्पना विजय	सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. बारां	निदेशालय सा.न्या.अ.वि. जयपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ
2	आदित्य कुमार गौतम	सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. कोटा	निदेशालय सा.न्या.अ.वि. जयपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ
3	जितेन्द्र कुमार	सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. जयपुर (ग्रामीण)	निदेशालय सा.न्या.अ.वि. जयपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ
4	मधुलिका सीवर	सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. कोटा	निदेशालय सा.न्या.अ.वि. जयपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ
5	सावन गर्ग	सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. जयपुर (ग्रामीण)	निदेशालय सा.न्या.अ.वि. जयपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ
6	अखिल अग्रवाल	सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. जयपुर (ग्रामीण)	निदेशालय सा.न्या.अ.वि. जयपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ
7	खुशबू शर्मा	सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. जयपुर (शहर)	निदेशालय सा.न्या.अ.वि. जयपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ
8	कुलदीप सिंह	सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. जयपुर (शहर)	निदेशालय सा.न्या.अ.वि. जयपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ
9	राजेश कुमार मीना	सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. जयपुर (शहर)	निदेशालय सा.न्या.अ.वि. जयपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ
10	अलका राव	सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. कोटा	निदेशालय सा.न्या.अ.वि. जयपुर के विभिन्न प्रकोष्ठ सहायक निदेशक सा.न्या.अ.वि. कोटा (स्वयं की प्रार्थना पर)

(डॉ.समित शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक :- एफ. 3(4)( )जलेस/Racs Training/सान्याअवि/2017-18/ 3639-59 जयपुर, दिनांक : 22/6/18  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक & विशिष्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, महानिदेशक, HCM RIPA, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, ( सतर्कता एवं प्रशासन ) मुख्यावास।
7. ACP ( कम्प्यूटर-सेल) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. सहायक निदेशक, सम्बन्धित जिला कार्यालय सा.न्या.अ.वि. को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवधि में सम्बन्धित प्रशिक्षु अधिकारी को विभाग से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण ऑनलाईन योजनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करावें व यथा सम्भव विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों, नारीनिकेतनों इत्यादि की विजिट भी करावें। इनकी प्रशिक्षण अवधि की उपस्थिति के सम्बन्ध में मुख्यालय की मेल आई.डी. sjeraj\_cao@yahoo.com पर सूचित करावें।
9. सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण के बारे में संक्षिप्त नोट प्रशिक्षण समाप्ति अवधि दिनांक तक मुख्यालय मेल आई.डी. sjeraj\_cao@yahoo.com पर प्रेषित करेंगे।
10. रक्षित पत्रावली।

(बुजेश शर्मा)

वित्तीय सलाहकार